सं0–388 / उन्तीस(2) / 07–2(60पे0) / 2003

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 मार्च, 2007

विषयः–राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत पेयजल / जलोत्सारण योजनाओं हेतु वर्ष 2006–07 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 448 / नौ–2–04(60पे0) / 2003, दिनांक 28.02.2004, शासनादेश संख्या 1508 / उन्तीस(2) / 06–2(60पे0) / 2003, दिनांक 23.03.2006 एवं शासनादेश संख्या 1194 / उन्तीस(2) / 06 –2 (60पे0) / 2003,दिनांक 30.08.2006 द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत पौडी नानघाट पेयजल योजना, पिथौरागढ़ जलोत्सारण योजना एंव हल्द्वानी जलोत्सारण योजना हेतु क्रमशः रू0 1000.00 लाख, रू0 500.00 लाख एंव रू0 1400.00 लाख अर्थात कुल रू0 2900.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। तद्विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 790 / धनावंटन प्रस्ताव / दिनांक 17.03.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन योजनाओं हेतु निम्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनाओं हेतु अनुदान के लिए संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग द्वारा रू0 300.00 लाख(रू0 तीन करोड मात्र) अनुदान के रूप में तथा हल्द्वानी जलोत्सारण एवं पिथौरागढ़ जलोत्सारण योजनाओं हेतु संगत मद में अवशेष धनराशि रू0 134.155 लाख (रू0 एक करोड़ चौतींस लाख पन्द्रह हजार पॉच सौ मात्र) ऋण के रूप में अर्थात कुल रू0 434. 155 लाख (रू0 चार करोड़ चौतीस लाख पन्द्रह हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि		कुल योग (5+6)
				अनुदान	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7
1	पौडी पुनर्गठन पे0यो0 (नानघाट)	4357.00	1000.00	100.00	–	100.00
2	पिथौरागढ़ जलोत्सारण योजना	3690.13	500.00	100.00	67.00	167.00
3	हल्द्वानी जलोत्सारण योजना	2448.20	1400.00	100.00	67.155	167.155
	योग		2900.00	300.00	134.155	434.155

2– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी

3– ऋण अंश के रूप में स्वीकृत धनराशि की वापसी एवं ब्याज अदायगी निम्न शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन होगी:–

(1) ऋण मद की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती हैं कि पूर्व में स्वीकृत ऋणों की अदायगी यदि अभी तक नहीं की गई हों तो ऐसी समस्त धनराशि का समायोजन किये जाने के बाद ही शेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) यह ऋण 15(पन्द्रह) समान किश्तों में व ब्याज सहित प्रतिदेय होगा। इस ऋण का प्रतिदान ऋण आहरण की तिथि से एक वर्ष बाद प्रारम्भ होगा। उक्त ऋण पर अन्तिम रूप से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, किन्तु निगम द्वारा समय–समय पर ऋण का प्रतिदान/ब्याज का भुगतान करने की दशा में 3–1/2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि कालातीत न हों अर्थात अन्तिम प्रभावी ब्याज की दर 11–1/2 (साढे ग्यारह) प्रतिशत होगी। ऋण/ब्याज का भुगतान प्रतिदान करने के बाद एक बार भी वितिथ होनें पर ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(3) ऋणी/संस्था/समिति/कारपोरेशन/स्थानीय निकाय आदि प्रत्येक दशा में ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकीय) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तरांचल को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक सूचित करते हुए भेजें।

(4) ऋणी/संस्था/संस्थान जब भी ब्याज जमा करें महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर अवश्य भेजें –

(1) कोषागार का नाम
(2) चलान संख्या व दिनांक
(3) जमा धनराशि।
(4) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज
(5) शासनादेश संख्या एवं एस0एल0आर0 का संदर्भ किश्त ब्याज
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ।

(5) ऋणी संस्था आहरण के प्रत्येक वर्षगाठ पर अपने लेखों का निदान महालेखाकार के लेखों से अवश्य करें। भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि ऋणी संस्था में इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया हैं तथा प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति यथा समय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दें।

कमश..3

4– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1)/दस–97–17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष कुल सेन्टेज चोर्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि योजना में इससे अधिक सेन्टेज व्यय होना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, का होगा ।

5– अनुदान की धनराशि का व्यय ऋण राशि के साथ ही किया जायेगा

6– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि केवल आवश्यकतानुसार ही किस्तों में आहरित की जायेगी।

7– उपरोक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के दिनांक 31.03.07 तक पूर्ण उपयोग कर तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जाय।

8– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0,एस0 एण्ड डी0, टैंडर और अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

9– व्यय उन्ही मदो/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

10–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें । यदि एक मद/योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजनाओं पर किया जाना पाया जाता है तो इस हेतु विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उपयोग के उपरान्त अविलम्ब इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा शेष कार्यो हेतु धन प्राप्त कर इस प्रकार पूरा किया जायेगा कि लागत मे वृद्वि न होने पाये । पार्किंग ऑफ फण्ड करने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

12– यदि यह धनराशि आहरित करके अपने बैंक खाते मे रखी जायेगी तो इस धनराशि पर समय समय पर अर्जित ब्याज को वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार राजकोष मे जमा कर दिया जायेगा ।

क्रमश..4

13–जी0पी0डब्लू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई का कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

14–मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047 XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय

15–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि लेखाशीर्षक" 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरीजलापूर्ति कार्यक्रम–05 – नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे तथा ऋण की धनराशि लेखाशीर्षक– "6215 –जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज–02 मल–जल तथा सफाई– आयोजनागत– 800– अन्य कर्ज– 04– पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए ऋण–00–30–निवेश /ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

16– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–160/XXVII–2/2007 दिनांक 17 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

सं0–388/उन्तीस(2)/08–2(60पे0)/2003,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2–आयुक्त गढ़वाल मण्डल ।
3–जिलाधिकारी, देहरादून/चमोली।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून।
6–वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
8–स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8–श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग ।
9–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
10–निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।
11–गार्ड फाईल।

संलग्न–यथोक्त

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

1

आयोजनागत

बी0एम0–15 पुर्नविनियोग–2005–06

(रु0 हजार में)

नियन्त्रक अधिकारी– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम
प्रशासनिक विभाग– पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन।

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार आय-व्ययक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलपूर्ति तथा सफाई 01–जलपूर्ति–आयोजनागत 101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण (केन्द्र)			79483(क)	2215–जलपूर्ति तथा सफाई 01–जलपूर्ति–आयोजनागत 102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम 03– ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 30000(ख)	145600	49493	(क) केन्द्र से धनराशि प्राप्त न होने के कारण। (ख)मद में वापुकित धनराशि प्राविधानित न होने के कारण।
20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 79483	–	–	79483	30000	145600	49493	
योग– 79483	–	–					

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के पेरा ग्राफ 150,151,155,156 में उल्लिखित नियमों का उल्लंघन नहीं होता है।

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-2
संख्या 1ा7 (क) XXVII-(2) /2007
देहरादून : दिनांक 23 मार्च 2007

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(पिटरनाथिम) 23.3.07
अपर सचिव वित्त

सेवा में
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या 388 (क)/उन्तीस/06–2–(छप्रेषा)/2003, तद् दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी,देहरादून। 2. वित्त अनुभाग–2
3–जिलाधिकारी,देहरादून।

आज्ञा से
(कुँवर सिंह)
अपर सचिव